संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 27 सितम्बर, 2011

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय : श्रीमती आशा देवी दिनकर, प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 15.06.2011 को आयोजित बैठक में श्रीमती आशा देवी दिनकर, प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड को दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया ।

2. समिति को अवगत कराया गया कि उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2010 में यह व्यवस्था है कि किसी एक दम्पति की अधिवर्षता आयु एक वर्ष रह जाती है तो वह दाम्पत्य नीति का लाभ नही प्राप्त कर सकेगा, श्रीमती आशा देवी दिनकर के पति पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः इन्हें दाम्पत्य नीति का लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नही है। दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत राज्य परिवर्तन की सुविधा दिये जाने का उद्देश्य यह है कि दम्पत्ति के पृथक-पृथक राज्यों में कार्यरत् होने के कारण पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में कोई अड़चन न हो, जबकि श्रीमती आशा देवी दिनकर के पति सम्प्रति सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिस कारण अब वे अपने राजकीय दायित्वों से मुक्त है।

3- अतः समिति द्वारा श्रीमती दिनकर के प्रत्यावेदन को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई। । समिति द्वारा इस मामले में जो संस्तुति की गई उसे भारत सरकार द्वारा मान लिया गया है तथा श्री हरेन्द्र सिंह विष्ट, स्टेनो का अंतिम आवंटन यथावत बना रहे ।

कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिः-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8[illegible] भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून।

27 SE
जारी किया